

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती ज्योति मीणा, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 569/2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

1. कन्हैयालाल पिता रामगोपाल खाती निवासी धनोप तह० फूलियाकलां
2. मु० रामजीवणी बेवा रामगोपाल खाती नि० धनोप तह० फूलियाकलां
3. रामधन पिता मदन खाती निवासी धनोप तह० फूलियाकलां
4. महावीर पिता मदन खाती निवासी धनोप तह० फूलियाकलां

प्रार्थीगण

बनाम

1. चन्द्रा पिता बगतावर बैरवा निवासी धनोप तह० फूलियाकलां
2. रतन पिता चन्द्रा बैरवा निवासी धनोप तह० फूलियाकलां
3. मु० सीतादेवी पत्नि कन्हैयालाल बैरवा नि० धनोप तहसील फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 11.02.2017

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :- प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 69 में आराजी नम्बर 2459 रकबा 1.22 है०, आराजी कुल कित्ता 01 रकबा 1.22 है० का प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई तथा बहस अभिभाषक



प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम धनोप संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा धनोप मे स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 01 रकबा 1.22 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये (अक्षरे पाँच सौ रुपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(ज्योति भीणा)
आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा